

अग्निवीर अमृतपाल को शहीद का दर्जा न मिलने पर सियासत और सङ्केत दोनों गरम

रविंद्र पटवाल

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज देश के पहले अग्निवीर शहीद अमृतपाल सिंह के घर जाकर उनके माता-पिता के साथ मुलाकात की है और उन्हें 1 करोड़ रुपये, परिवार में एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी और सैनिक की याद में स्मारक एवं खेल स्टेडियम की निर्माण का वादा किया है।

संवाददाताओं के साथ अपनी बातचीत में भगवंत मान का स्पष्ट कहना था कि केंद्र सरकार को अग्निवीर योजना के तहत सेना में शामिल सभी जवानों को स्थायी सैनिक के तौर पर समायोजित करना चाहिए। अग्निवीर स्कीम के तहत फौज में भर्ती सैनिकों के शहीद होने पर सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है तो यह शहीदों का अपमान है।

मान ने अपने बयान में कहा, "आप कैसे एक शहीद की शहादत को सलामी देंगे और दूसरे शहीद को शहीद नहीं मानेंगे? इस दोहरी नीति से देश की रक्षा कैसे हो सकती है? मैं पंजाब विधानसभा सत्र (20-21 अक्टूबर) के तत्काल बाद दिल्ली जाकर रक्षा मंत्री और गृहमंत्री के सामने इस मामले को उठाऊंगा।"

सेना द्वारा खुदकुशी की बात पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का तर्क था, "जो जवान फौज में जाने का जिगरा रखता है, वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकता। खुदकुशी कायरों का काम है। अब फौज बहाने बना रही है। अमृतपाल 7 बहनों का भाई था, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी।"

उन्होंने 4 वर्ष की अग्निवीर योजना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर जवानों के प्रति यही रखैया रहता है तो अग्निवीर योजना को बंद कर देना चाहिए। या तो उन्हें रेगुलर किया जाये, या उन्हें निकाल दिया जाए।

क्यों नहीं दी गई सलामी?

इस बारे में जानकारी मिल रही है कि सिंह के पार्थिव शरीर को एक जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) और चार अन्य रैंक के जवानों के साथ एक एम्बुलेंस में उनके गृह नगर ले जाया गया। सेना के जवान भी सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सेना का कहना है कि मौत का कारण खुद को पहुंचाई गई चोट पाए जाने के मद्देनजर, मौजूदा नीति के अनुसार कोई सलामी गारद नहीं दी गई या सैन्य अंत्येष्टि नहीं की गई।

बता दें कि हाल ही में सेना में भर्ती हुए अग्निवीर अमृतपाल सिंह की मृत्यु 11 अक्टूबर 2023 को कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान हुई। सेना की अग्रिम चौकी पर मृत पाए गये अमृतपाल के शरीर पर गोली लगाने का जख्म मिला।

सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कमान ने एक्स पर लिखा, "एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अग्निवीर अमृतपाल सिंह की राजौरी सेक्टर में संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को मारी गई गोली से मौत हो गई। अधिक जानकारी का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंकायरी जारी है। सशस्त्र बल अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन से पहले

या बाद में शामिल हुए सैनिकों के बीच हकदार लाभ और प्रोटोकॉल के संबंध में अंतर नहीं करते हैं।"

सेना में आत्महत्या या खुद से चोट लगाने की स्थिति का खुलासा करते हुए पोस्ट में आगे लिखा गया है, "आत्महत्या/स्वयं को लगी चोट के कारण होने वाली मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं, फौज में भर्ती के प्रकार की परवाह किए बिना सशस्त्र बलों द्वारा परिवार के साथ गहरी सहानुभूति के साथ-साथ उचित सम्मान देने को परंपरा है। हालांकि, ऐसे मामले प्रचलित 1967 के मौजूदा सेना आदेश के मुताबिक सैन्य अंत्येष्टि के हकदार नहीं हैं।"

पोस्ट में आगे कहा गया है कि "इस विषय पर बिना किसी भेदभाव के नीति का सतत पालन किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2001 के बाद से 100 से 140 सैनिकों के बीच औसत वार्षिक क्षति हुई है, जिसमें आत्महत्याएं/स्वयं को लगी चोटों के कारण मौतें हुई, और ऐसे मामलों में सैन्य अंत्येष्टि की अनुमति नहीं दी जाती है। पात्रता के अनुसार वित्तीय सहायता/राहत के वितरण को उचित प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें अंत्येष्टि के संचालन के लिए तत्काल वित्तीय राहत भी शामिल है।"

पोस्ट में आगे लिखा है, "क्षति की ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं परिवार और एक बिरादरी के रूप में बताएं पर भारी पड़ती हैं। ऐसे समय में, परिवार के सम्मान, गोपनीयता और प्रतिष्ठा को बनाए रखना और दुख की घड़ी में उनके साथ सहानुभूति रखना समाज के लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। सशस्त्र बल नीतियों और प्रोटोकॉल के पालन के लिए जाने जाते हैं और पहले की तरह ऐसा करना जारी रखेंगे। भारतीय सेना अपने स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अनुरोध करती है।"

शहीद सैनिक को पूरे सम्मान के साथ विदाई की मांग

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झंपरा पर अपनी पोस्ट में लिखा है, "पंजाब के अग्निवीर शहीद अमृतपाल सिंह के पार्थिव शरीर को न तो सैन्य-सम्मान मिला न राजकीय-सम्मान।

ये एक त्रुटिपूर्ण सैन्य-भर्ती का दुष्प्रिणाम है। सैनिकों को उनका यथोचित सम्मान हर दशा-अवस्था में मिलाना ही चाहिए। इस शहादत को शत-शत नमन करते हैं। हम इस शहादत को शत-शत नमन करते हैं। हम अग्निवीर योजना के अपने विरोध को पुनः रेखांकित करते हैं और परम्परागत भर्ती की पुनर्बहाली की मांग उठाते हैं। देश की सुरक्षा व देश के युवा के भविष्य के साथ हमें कोई भी समझौता मंजूर नहीं। जय हिंद!"

सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है— पंजाब के 19 वर्षीय अमृतपाल सिंह 10 दिसंबर 2022 को 'अग्निवीर' बने थे। 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में गोली लगाने से शहीद हो गए। जवान का पार्थिव शरीर सेना के बाहर की बजाय एंबुलेंस में



आया। गार्ड ऑफ ऑनर भी सेना की टुकड़ी ने नहीं दिया। ये शहीद का अपमान है।

एक अन्य झंपरा परिवार के नीति के अनुसार, 2001 के बाद से 100 से 140 सैनिकों के बीच औसत वार्षिक क्षति हुई है, जिसमें आत्महत्याएं/स्वयं को लगी चोटों के कारण मौतें हुई, और ऐसे मामलों में सैन्य अंत्येष्टि की अनुमति नहीं दी जाती है। पात्रता के अनुसार वित्तीय सहायता/राहत के वितरण को उचित प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें अंत्येष्टि के संचालन के लिए तत्काल वित्तीय राहत भी शामिल है।

भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव अभ्य सिंह चौटाला ने एक वीडियो जारी करते हुए झंपरा पर अपनी पोस्ट में लिखा है, "हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि अग्निवीर योजना देश के जवानों के साथ अन्यथा है। देश के पहले अग्निवीर जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, उन्हें कोई सैन्य सम्मान नहीं मिला, कोई सेना की औपचारिकता नहीं हुई। सेना की जगह पंजाब पुलिस के जवान वहां आए थे वो भी ग्रामीणों के अनुरोध पर, यहां तक कि उनके पार्थिव शरीर को भी निजी एंबुलेंस में लाया गया।"

अभ्य सिंह चौटाला ने आगे लिखा, "जिस देश में एक शहीद को पीढ़ियों तक याद किया जाता था वहां ऐसा होना निंदनीय है। इसे किसी भी तरह बर्दाशत नहीं किया जा सकता। केन्द्र सरकार यह स्पष्ट करे कि अग्निवीरों को सेवाकाल के दौरान पूर्ण रूप से एक सैनिक का दर्जा और सम्मान मिलेगा या नहीं। अगर मिलेगा, तो शहीद अमृतपाल सिंह की शहादत का अपमान क्यों किया गया, इसकी माफी मांगी जाए।"

सेना द्वारा खुद को गोली मारे जाने पर भी विरोध करते हैं। सेना के पार्थिव शरीर को नियमित बर्दाशत करते हैं। यह अग्निवीर योजना का पालन करना कहीं न करते हैं। ज्ञान की जगह वहां देश की सेवा कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि दुश्मन की गोली से उनकी जान चली जाए। हम इसके लिए शहादत और गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होना चाहिए।

में कोई बुराई नहीं है। युद्ध में हताहत मानी जाने वाली चोट के प्रकार और तरीके में कई बार खामियां निकलती हैं। लकीर का फूली रखैया संगठन को बर्बाद कर सकता है। इस बात पर विचार करें कि हमारे जवान अपने मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की वजह से किस प्रकार के तनाव एवं दबाव का समाना करते हैं। वे इसके हकदार हैं। समस्या यह है कि हममें से कुछ लोग हैं जो नकारात्मक धारणाओं के साथ शुरूआत करते हैं। कम से कम, हम उस दुःख की घड़ी में मृतक के परिवार को उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकते हैं।"

इयूटी पर जान गंवाने वाले सैनिकों को सम्मान क्यों नहीं?

एक अन्य पौर्ण पर 15 अक्टूबर को पंजाब के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 10 पर्वतारोही सैनिकों के बर्फ के तूफान में फँसने की वजह से उनमें से 7 जवानों की मौत पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या ये लोग तफरीह के लिए गए थे, या अपनी इयूटी पर थे। और यदि इयूटी पर किसी जवान को मौत हो जाती है, या उन्हें -40 डिग्री तापमान में इयूटी करने के कारण उच्च रक्तचाप, हृदयाघात या ब्रेन हेमरेज का शिकार होना पड़ता है तो उनके लिए शहादत और गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होना चाहिए।